भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 100
सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

100. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत विशेष रूप से तमिलनाडु में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के लिए श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात् कौशल संवर्धन तथा प्रशिक्षुता अवसर पाने वाले असंगठित श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार असंगठित कामगारों सहित अन्य कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है जिनमें अन्य योजनाओं सहित (i) आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), (ii) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (iii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iv) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), (v) बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान कामगारों के लिए श्रम कल्याण योजना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, (vi) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, (vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, (ix) प्रधान मंत्री आवास योजना, (x) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (xi) दीन दयाल अंत्योदय योजना, (xii) पीएमस्वनिधि, (xiii) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी श्रमिकों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित करती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित पंजीकृत कामगारों की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-'क' में संलग्न है।

18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित कामगारों के लिए फरवरी, 2019 में पीएम-एसवाईएम की शुरुआत की गई थी। दिनांक 19.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत कुल 50,73,265 कामगार पंजीकृत हैं। लाभार्थियों के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ही शुरू होगी, लाभार्थियों को पेंशन का प्रथम भुगतान वर्ष 2039 में किया जाएगा।

असंगठित कामगारों के लिए कौशल वृद्धि तथा शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ईश्रम पोर्टल को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल (एसआईडीएच) के साथ एकीकृत किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगार अब एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध कौशल विकास कार्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं।

*   ******

अनुबंध-क

'असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं' के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2021-22 में पंजीकरण	वित्त वर्ष 2022-23 में पंजीकरण	वित्त वर्ष 2023-24 में पंजीकरण	वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकरण (दिनांक 18.11.2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26,713	1,794	2,536	1,212
2	आंध्र प्रदेश	42,06,913	37,49,535	1,13,921	52,559
3	अरुणाचल प्रदेश	84,430	56,805	4,721	49,104
4	असम	65,43,679	4,01,878	2,05,463	4,11,431
5	बिहार	2,80,17,350	5,69,357	5,29,823	4,26,866
6	चंडीगढ़	1,70,642	3,858	4,597	5,694
7	छत्तीसगढ़	78,91,585	3,85,758	1,53,976	84,847
8	दिल्ली	31,89,328	66,601	1,08,534	68,398
9	गोवा	21,759	37,911	9,288	5,836
10	गुजरात	81,82,356	27,78,802	6,08,573	2,91,260
11	हरियाणा	51,61,259	98,242	49,425	38,261
12	हिमाचल प्रदेश	18,60,546	64,654	35,670	19,472
13	जम्मू और कश्मीर	32,07,846	1,78,939	70,055	67,082
14	झारखण्ड	89,24,942	2,49,404	1,53,939	2,60,206
15	कर्नाटक	60,29,383	15,05,940	9,31,684	17,36,456
16	केरल	58,25,540	80,051	51,295	43,835
17	लद्दाख	22,187	7,398	2,716	916
18	लक्षद्वीप	465	1,976	92	191
19	मध्य प्रदेश	1,56,21,111	13,68,260	5,53,747	8,26,711
20	महाराष्ट्र	1,16,91,689	18,60,056	8,42,684	28,38,330
21	मणिपुर	3,78,972	26,861	30,882	14,423
22	मेघालय	2,05,732	86,523	18,777	14,129
23	मिजोरम	30,611	27,745	5,481	1,045
24	नागालैंड	2,05,259	13,508	2,950	9,478
25	ओडिशा	1,32,46,654	86,619	63,107	1,18,572
26	पुदुचेरी	1,74,414	2,152	7,606	4,719
27	पंजाब	53,99,180	1,00,818	1,10,128	1,48,681
28	राजस्थान	1,19,09,263	9,37,838	8,76,937	4,59,973
29	सिक्किम	11,137	14,656	13,044	3,075
30	तमिलनाडु	70,48,372	13,58,240	1,65,811	2,91,182
31	तेलंगाना	34,08,125	7,43,269	1,99,660	87,896
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव	71,685	1,271	659	641
33	त्रिपुरा	8,15,560	29,821	25,346	12,460
34	उत्तर प्रदेश	8,26,12,226	4,04,713	4,71,177	2,37,481
35	उत्तराखंड	29,32,554	43,430	40,355	33,987
36	पश्चिम बंगाल	2,53,96,794	4,20,468	4,32,884	1,43,519
कुल		**27,05,26,261**	**1,77,65,151**	**68,97,543**	**88,09,928**

******